(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 29/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 06 जुलाई, 2018

सा.का.नि.______(अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये 12 जून, 2018 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 125 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 129 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 130 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर दोनों जगहों पर जहां वे आएं हों 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 131 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 132 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) नियम 133 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(ii)**, में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 574(अ), तारीख 19 जून, **2018** द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. **28**/201**8** – केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।